पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 19600/2016

==========

मेसर्स सुप्रीम एंटरप्राइजेज, एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय पूर्वी अशोक नगर, रोड नंबर 14 (बी) कंकड़बाग, पटना बिहार, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री हर्षवर्धन सिंह के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य अपने प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, नए सचिवालय, पटना के माध्यम से
2. जिला मजिस्ट्रेट, बिहार शरीफ, नालंदा
3. नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहारशरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा
4. अतिरिक्त आयुक्त, बिहार शरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा।
5. मेयर, बिहार शरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा

.....उत्तरदातागण

==========

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226

बिहार स्थायी समिति नियम्, 2010

याचिकाकर्ता के फर्म को अनिश्चित काल तक काली सूचि में डाला गया जो कि कथित रुप से कुलजा इंस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य,(2014)14 एस.सी.सी. 731 में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है।

निर्णित किया गया कि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस बात का खंडन नहीं किया कि काली सूची को अनिश्चित काल के लिये बनाया गया है।

दिनांक 14.12.2016 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर याचिकाकर्ता के मामलों का सुनवाई के लिये आयुक्त को प्रतिप्रेषण किया जाता है।

[पारा 4,6]

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

सिविल रिट अधिकारिता मामला सं. 19600/2016

==========

मेसर्स सुप्रीम एंटरप्राइजेज, एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय पूर्वी अशोक नगर, रोड नंबर 14 (बी) कंकड़बाग, पटना बिहार, अपने अधिकृत प्रतिनिधि श्री हर्षवर्धन सिंह के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य अपने प्रधान सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, नए सचिवालय, पटना के माध्यम से
2. जिला मजिस्ट्रेट, बिहार शरीफ, नालंदा
3. नगर आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहारशरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा
4. अतिरिक्त आयुक्त, बिहार शरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा।
5. मेयर, बिहार शरीफ नगर निगम, बिहार शरीफ, नालंदा

.....उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अनुराग सौरव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से: श्री अब्बास हैदर-एससी 6

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास जैन

मौखिक निर्णय

दिनांक: 18-01-2018

2016 का आई. ए. सं. 9748

यह अंतर्वर्ती आवेदन निम्नलिखित राहत जोड़कर रिट याचिका में प्रार्थना में संशोधन के लिए दायर किया गया हैः

"(ग) नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा जारी ज्ञापांक संख्या 5976 दिनांक 14.12.2016 वाले ज्ञापन को रद्द करना जिसके द्वारा और जिसके तहत प्रतिवादी निगम ने याचिकाकर्ता की फर्म को दुर्भावनापूर्ण इरादे से काली सूची में डाल दिया और उपरोक्त आदेश सामग्री की आपूर्ति के बाद भी पारित कर दिया गया है और पूरी आपूर्ति प्रक्रिया के दौरान निगम ने स्वयं वाहन के परिवहन के लिए विलंबित पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया और निरीक्षण करते समय देरी की और अंत में याचिकाकर्ता को तीसरे पक्ष का निरीक्षण करना पड़ा और आपूर्ति कार्य पूरा करना पड़ा और प्रतिवादी निगम के अलावा संशोधित कार्य आदेश को समाप्त किए बिना, काली सूची का आदेश पारित किया और समाप्ति आदेश से बहुत पहले याचिकाकर्ता ने उपकरण के लिए चेसिस खरीद लिया था और याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी निगम की सहमति से आपूर्ति कार्य शुरू कर दिया था। इस तथ्य से, पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने 10.12.2016 को अनुलग्नकों के साथ अपना कारण बताओ उत्तर प्रस्तूत किया था और 14.12.2016 को आदेश पारित किया था।"

2. 2016 की प्रार्थना आई. ए. संख्या 9748 की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाती है है और इसे रिट याचिका का हिस्सा माना जाता है।

2016 का सी.डब्लू.जे.सी.सं.19600

3. मुख्य रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई हैः

(क) नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम द्वारा जारी किए गए No.5633 दिनांकित 11.11.2016 वाले पत्र को रद्द करने के लिए जिसके तहत और जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 3.

याचिकाकर्ता को यह पूछने के लिए कारण पृच्छा जारी किया कि याचिकाकर्ता के संगठन को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिवादी निगम द्वारा काली सूची में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता उपकरण की आपूर्ति करने में विफल रहा, जैसे कि एल. सी. वी. चेसिस माउंटेड एक्सेस प्लेटफॉर्म (स्काईलिफ्ट) पत्र संख्या 3664 दिनांक 29.06.2016 द्वारा जारी किया गया और काली सूची के लिए उपरोक्त कारण पृच्छा नोटिस इस तथ्य पर विचार किए बिना जारी किया गया कि याचिकाकर्ता का उपकरण आपूर्ति के लिए तैयार है और याचिकाकर्ता की कार्यशाला में केवल प्रतिवादी निगम द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से पड़ा हुआ है और सभी तथ्यों को जानने के बाद भी प्रतिवादी निगम ने याचिकाकर्ता के कार्य आदेश को समाप्त करने और भविष्य की निविदाओं के लिए याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्णय लिया था। (ख) किसी अन्य राहत या राहत को जारी करने के लिए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मुख्य रूप से काली सूची में डालने के आक्षेपित आदेश को चुनौती दो मुख्य आधार पर किये हैंः-(ए) कि याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए काली सूची में रखा गया है, जो *कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक, पश्चिमी दूरसंचार परियोजना, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य,* (2014) 14 एस. सी. सी. 731 में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। और (ख) कि नगर आयुक्त बिहार स्थायी समिति नियम, 2010 को ध्यान में रखते हुए काली सूची में डालने का आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था, जिसके अनुसार नगर निगम की कार्यकारी शक्ति स्थायी समिति में निहित है।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील रिट याचिका का विरोध करने के लिए जवाबी हलफनामे पर निर्भर करते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के इस रुख का विरोध करने में असमर्थ हैं कि काली सूची को अनिश्चित काल के लिए बनाया गया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि खुद को काली सूची में डालने के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि नगर निगम के बोर्ड ने उस संबंध में निर्णय लिया था।

6. जो भी हो, इस न्यायालय का विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि दिनांक 14.12.2016 (अनुलग्नक-11) के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को

याचिकाकर्ता को मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले में नया निर्णय लेने के लिए नगर आयुक्त, बिहारशरीफ नगर निगम को प्रतिप्रेषण किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने का आदेश पारित करने के लिए नगर आयुक्त के सम्मुख सभी बिंदुओं जिसमें नगर आयुक्त का अधिकारित भी शामिल है को उठाने की स्वतंत्रता होगी।

8. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त रूप में किया जाता है।

(विकास जैन, न्यायाधीश)

चंद्रन/बीटी

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।